न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 68/2013

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद्, बारां जिला बारां (राज.)

(निगराकार)

बनाम

1. विजय कुमार उर्फ विजय बहादुर सिंह पुत्र श्री सार्दुलसिंह जाति राजपूत निवासी बोहत, तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)
2. ग्राम पंचायत बोहत जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, पंचायत समिति, अन्ता जिला बारां (राज.)

(गैरनिगराकारान)

जिला कलेक्टर बारां (राज0)

निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994
बाबत निरस्त किये जाने पट्टा

उपस्थिति :– 1. श्री रूपचन्द सिंगावत, अभिभाषक (निगराकार)
2. श्री नरेन्द्रसिंह हाडा, अभिभाषक (गैर निग. क्रम 1)

निर्णय दिनांक 16.12.2022

निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत बोहत ने दिनांक 12.10.2004 को चारागाह भूमि खसरा नंबर 2468/3157 रकबा 0.69 है. का पट्टा क्रमांक 319 साइज 25X25 कुल क्षेत्रफल 625 वर्गफीट का गैर निगराकार क्रम 1 को जारी किया जो नियम विरूद्ध व अवैद्यानिक होने से निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया उक्त विवादित पट्टा आबादी भूमि में नहीं दिया गया है जबकि ग्राम पंचायत को वैधानिक रूप से आबादी भूमि का ही पट्टा जारी करने का अधिकार है। गैर आबादी भूमि (चारागाह, सिवायचक, रास्ता, निजी खातेदारी, बाड़ा इत्यादि) में पट्टा जारी किया जाना पूर्णतया अवैधानिक कृत्य है। अंकेक्षण वर्ष 2004–05 की ऑडिट रिपोर्ट के बाद विकास अधिकारी एवं पटवारी हल्का द्वारा की गयी जांच में भी उक्त पट्टा आबादी आबादी भूमि में जारी करना नहीं पाया जाता है। गैर निगराकार द्वारा कपटपूर्वक पट्टा प्राप्त किया है जो काबिल खारजी है। अतः गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में दिनांक 12.10.2004 को जारी पट्टा संख्या 319 निरस्त फरमावें।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर, गैर निगराकारान को तलब किया गया।

गैर निगराकार क्रम 2 स्वंय एवं क्रम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये। परन्तु गैर निगराकार क्रम 1 व 2 की ओर से जवाब पेश नहीं ... अधिनस्थ कार्यालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेकार्ड प्राप्त होने के उपरान्त हमने पत्रावली बहस हेतु नियत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.02 13:18:55 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस उभयपक्ष अभिभाषक निगराकार एवं गैर निगराकार क्रम 1 की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैर निगराकार क्रम 1 को जारी पट्टा आबादी भूमि का ना होकर चारागाह भूमि का है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत बोहत द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को जारी पट्टा क्रमांक 319 दिनांक 12.10.2004 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस अभिभाषक गैर निगराकार कम 1 ने कथन किया कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी में लिमिटेशन एक्ट लागू होता है। उक्त निगरानी लिमिटेशन के बाहर प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार कम 1 को जारी पट्टा आबादी भूमि में दिया गया है। एवं निगराकार द्वारा कोई जमाबंदी पेश नही की गई है जिससे साबित हो सके कि गैर निगराकार कम 1 को जारी पट्टा आबादी भूमि का नहीं होकर चारागाह भूमि का है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत, एवं जिला परिषद से अनुमोदन के पश्चात पट्टा जारी किया किया गया है। गैर निगराकार कम 1 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे में अंकित भूमि पर 18 वर्षो से मकान बना हुआ है। प्रस्तुत निगरानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। यदि पट्टा निरस्त किया जाता है तो गैर निगराकार कम 1 व उसका परिवार बेघर हो जायेगें। अतः निगरानी निरस्त फरमाई जावे।

रिपीटल में अभिभाषक निगराकार ने कथन किया कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी प्रस्तुत किये जाने हेतु समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं है प्रस्तुत निगरानी Lie करती है तथा अपने कथन के समर्थन में विधिक दृष्टांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 5735/2021 बउनवान Lrs of Sukhdeo singh & others vs Adm (A) Sri Ganganagar & others में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस. बी.सिविल रिट पिटि. सं. 11006/2012 बउनवान नागरमल बनाम अति. कलेक्टर, सीकर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2012 की छायाप्रतियां पेश की।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत प्रस्तुत निगरानी हेतु समय सीमा की बाध्यता नहीं होना तथा निगरानी Lie करना प्रस्तुत विधिक दृष्टांतों से स्पष्ट है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियम 158 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा 150 वर्गगज तक का आबादी भूमि का ही पट्टा कमजोर वर्गो के लोगों को रियायती दर पर दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत बोहत द्वारा गैर निगराकार कम 1 को रिकार्ड तथा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 21.07.2011 अनुसार पट्टा खसरा नंबर 2468/3157 चारागाह भूमि पर जारी किया गया है, जिसे जारी करने का अधिकारी ग्राम पंचायत को नही है। ग्राम पंचायत द्वारा अनुचित तरीके से नियम विरूद्व उक्त पट्टा जारी किया है।

परिणास्वरूप निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, ग्राम पंचायत बोहत द्वारा गैरनिगराकार कम–1 **श्री विजय कुमार उर्फ विजय बहादुर सिंह पुत्र श्री सार्दुलसिंह जाति राजपूत निवासी बोहत, तहसील अन्ता जिला बारां** को जारी पट्टा कमांक 319 दिनांक 12.10.2004 निरस्त किया जाता है। पट्टेधारी को उक्त पट्टे पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होगें।

निर्णय आज दिनांक [illegible] सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.02 13:18:55 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर
बारां (राज०)